



## मैला सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

**Devika Sharma**

Research Scholar (Ph.D)  
Department of Sociology & Political Science  
Faculty of Social Sciences  
Dayalbagh Educational Institute  
(Deemed University) Agra.  
Email id- [devikakamalsharma@gmail.com](mailto:devikakamalsharma@gmail.com)

**Prof. Lajwant Singh**

Department of Sociology & Political Science  
Faculty of Social Sciences  
Dayalbagh Educational Institute  
(Deemed University) Agra.  
Email id- [singh.lajwant90@gmail.com](mailto:singh.lajwant90@gmail.com)

### सारांश

भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था के परिणामस्वरूप मैला सफाई कर्मियों की स्थिति अच्छी नहीं है। सामाजिक अत्याचारों के अलावा इन कर्मियों को अपने कार्य के कारण और भी अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी हानिकारक गैसों शामिल होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्डियोवस्कुलर डिजनरेशन, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में बदलाव और इंटरवर्टेब्रल डिस्क हर्नियेशन, हेपेटाइटिस, लेटोपायरोसिस और हेलिकोबैक्टर जैसे संक्रमण, त्वचा की समस्या, श्वसन प्रणाली की समस्याएं और परिवर्तित फुफ्फुसीय कार्य पैरामीटर आदि बीमारियाँ हो सकती हैं। जबकि महिला सफाई कर्मियों को मानव मल के साथ-साथ उनके दैनिक संपर्क के कारण अनगिनत बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तपेदिक, कैपिलोबैक्टर संक्रमण, क्रिप्टोस्पोरिडिओसिस, सियार्डियासिस, हाथ, पैर और मुंह की बीमारी, हेपेटाइटिस ए, मेनिनजाइटिस (वायरल), रोटावायरस संक्रमण, थ्रश, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस शामिल हैं। इनके अलावा चर्म रोग और फेफड़ों के रोग की भी संभावनाएं हैं। मैला सफाई कर्मचारी नियमित रूप से मैनहोल में प्रवेश करते हैं, जिसमें जहरीली गैसों होती हैं। इनके काम करने की स्थिति बहुत ही खतरनाक है, उन्हें मैनहोल को व्यक्तिगत रूप से साफ करने के लिए एक रस्सी और बाल्टी प्रदान की जाती है, जबकि वे विभिन्न जहरीली गैसों का सामना कर रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, कभी-कभी यह उनके जीवन को खतरे में डाल देता है। इस वजह से सीवेज कर्मियों को आमतौर पर कटने, चोट लगने, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और त्वचा पर लाल चकत्ते से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना

पड़ता था। अज्ञानता के कारण मैला सफाई कर्मियों को संबन्धित उपकरणों का उपयोग करने के लिए शिक्षित नहीं किया जाता है। जिससे सेवानिवृत्ति से पहले ही उनकी मृत्यु हो सकती है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत शोध अध्ययन मैला सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है।

**मुख्य शब्द:** स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण सुविधाएं, कार्य प्रकृति आदि।

## परिचय

प्रस्तुत शोध कार्य में मैला सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य संबन्धित मुद्दों पर अध्ययन किया गया है। गरीबी, घर की खस्ता हालत और अपर्याप्त भोजन के कारण इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य की स्थिति और भी बदतर होती चली जाती है। महिला सफाई कर्मचारी, जो सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करती है, उसके पास शौचालय अथवा छाँव में विश्राम करने की सुविधा नहीं होती है। मैला सफाई कर्मियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा जैसे किट उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। इनके साथ सड़कों पर छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होना एक आम बात है, परन्तु उनके लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने का कोई प्रबंध नहीं होता है। ये कर्मचारी इन सबके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि वे स्वयं को औरों से कमजोर महसूस करते हैं और उनमें स्वयं को हटाए जाने का खतरा बना रहता है। मैला सफाई कर्मियों में महिलाओं ने कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बतायीं। जैसे: नुकलीले कीलों तथा कांच के टुकड़ों के घावों से होने वाला संक्रमण, आंखों और गले के संक्रामक रोग जो धूल से उत्पन्न होते हैं, मौसमी संक्रामक रोग (जो खासकर वर्षा ऋतु के दौरान फैलते हैं), त्वचा में खरोंच लगना, एलर्जी होना, चोटें लगना आदि। इन महिलाओं को मासिक धर्म के समय पेट में ऐठन होने, सुस्ती होने, सेनिटरी नैपकिन, मूत्रीय संक्रमण होने, कमजोरी और चक्कर आने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इत्यादि कठिनाईयों के संपर्क में आना इन मैला सफाई कर्मियों की एक नियमित समस्या बन गयी है। इन कठिनाईयों के बावजूद वे अपना काम करना नहीं छोड़ते। जिससे उन्हें भीषण दर्द का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी वे इसे सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं और उन्हें इससे शांति से ही निपटना होता है। क्योंकि वे दिहाड़ी की मंजूरी में कटौती होना नहीं झेल सकते। कुछ मैला सफाई कर्मियों ने बताया कि "दर्द और एलर्जी से बड़ी बात तो यह है कि हम बिना मजदूरी पाए तो भूखे मर जाएंगे"। कुछ कामगारों ने स्वीकारा किया कि वे दर्द के कारण काफी कमजोरी महसूस करते हैं। किसी तरह वह अपनी शारीरिक कमजोरी को छिपाने के लिए अपने स्वयं के दर्द को नजर अंदाज करते हैं।

## मैला सफाई कर्मियों का अर्थ

- **1993** से भारतीय कानून में हाथ से मैला ढोने वाले की आधिकारिक परिभाषा इस प्रकार है: "हाथ से मैला ढोने वाला" का अर्थ है मानव मल को हाथ से ले जाने में लगा हुआ या नियोजित व्यक्ति और अभिव्यक्ति "हाथ से मैला ढोने" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।"
- **2013** में, सेप्टिक टैंक, खुली नालियों और रेलवे पटरियों की सफाई में कार्यरत व्यक्तियों को शामिल करने के लिए मैनुअल स्कैवेंजर की परिभाषा है: "मैनुअल मैला ढोने वाला" का अर्थ है इस अधिनियम के प्रारंभ में या उसके बाद किसी भी समय, किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी या ठेकेदार द्वारा हाथ से

सफाई करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा संभालने के लिए नियोजित या नियोजित व्यक्ति। किसी भी तरीके से, एक अस्वच्छ शौचालय में या एक खुले नाले या गड्ढे में मानव मल, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल का निपटारा किया जाता है, या रेलवे ट्रैक या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है।

## इतिहास

भारत में मैला ढोने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। पवित्र शास्त्रों और अन्य साहित्य की सामग्री के अनुसार, भारत की कुछ विशिष्ट जातियों द्वारा मैला ढोने की प्रथा सभ्यता की शुरुआत से ही मौजूद है। नारदीय संहिता में वर्णित दासों के पंद्रह कर्तव्यों में से एक हाथ से मैला ढोने का था। यह बौद्ध और मौर्य काल के दौरान भी जारी है। विद्वानों ने सुझाव दिया है कि पर्दा वाली मुगल महिलाओं को संलग्न शौचालयों की आवश्यकता होती है जिन्हें साफ करने की आवश्यकता होती है। यह बताया गया है कि भंगी (चुहरा) राजपूतों के साथ कबीले के कुछ नाम साझा करते हैं, और प्रस्ताव करते हैं कि भंगी युद्ध में पकड़े गए लोगों के वंशज हैं। भंगियों की उत्पत्ति के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं, जिन्होंने पारंपरिक रूप से हाथ से मैला ढोने का काम किया है। उनमें से एक, लाल बेगी भंगियों से जुड़ा, मेहतर से भंगियों की उत्पत्ति का वर्णन करता है।

मैला ढोने की प्रथा ऐतिहासिक रूप से भारत में जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। न केवल शौचालयों की सफाई, बल्कि सभी प्रकार की सफाई के कामों को भारत में नीच माना जाता है। अभिजात वर्ग ने दलित समुदाय के सदस्यों के लिए सबसे नीच और प्रदूषणकारी काम सौंपा। सफाई कार्य के जाति-आधारित कार्य का पता भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में स्वर्ण युग माने जाने वाले गुप्त काल के दौरान हिंदू धर्म के उदय और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पुनरुद्धार से लगाया जा सकता है। श्रमिक आमतौर पर बाल्मीकि (या वाल्मीकि) या हेला (या मेहतर) उपजातियों से संबंधित होते हैं; दलित समुदाय के भीतर ही पदानुक्रम के निचले भाग में माना जाता है।

## वर्तमान प्रचलन

दो कानूनों के पारित होने के बावजूद, हाथ से मैला ढोने की प्रथा एक खुला रहस्य है। सामाजिक आर्थिक जाति 2011 की जनगणना, भारत के भीतर 180,657 परिवारों के मैनुअल सफाई में एक आजीविका के लिए लगे हुए हैं। भारत की २०११ की जनगणना में पूरे भारत में हाथ से मैला ढोने के ७९४,००० मामले पाए गए। महाराष्ट्र राज्य, ६३,७१३ के साथ, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में काम करने वाले परिवारों की सबसे बड़ी संख्या के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक राज्य हैं। भारत के कुछ हिस्सों में उचित सीवेज सिस्टम या सुरक्षित मल कीचड़ प्रबंधन प्रथाओं के बिना मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी जीवित है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रचलित माना जाता है।

## साहित्य पुनर्वलोकन-

- Sheeba, T. C., & Sahela, M. B. (2019) मैला ढोने वालों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया, मैला ढोने वालों के स्वास्थ्य क्षेत्र का मूल्यांकन किया और कलेक्टरों द्वारा समस्या की जांच की। लेखकों ने पाया कि स्थायी कार्य वेतन अनुबंध कर्मियोंकी तुलना में अधिक है। स्थायी कर्मियोंकी नौकरी सुरक्षित है और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लाभ दिए जाते हैं। ठेका कर्मियोंको स्थायी कर्मियोंका लाभ नहीं मिलता है। स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है कि 79 (96.3 प्रतिशत) स्थायी कर्मचारी और 100 प्रतिशत ठेका कर्मियोंका स्वास्थ्य अच्छा है। केवल तीन (3.7 प्रतिशत) स्थायी कर्मचारी ठीक नहीं होते हैं। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अन्य मतलबी कर्मियोंकी तुलना में बेहतर है। उनका व्यय पैटर्न लगभग समान है, भले ही ठेका कर्मियोंका वेतन स्थायी कर्मियोंकी तुलना में कम है। रहकोनेन, पी।, एटाला, एम।, और लोइकानन, आई। (1987)। फ़िनलैंड में सैनिटरी लैंडफिल में काम करने की स्थिति और स्वच्छता। लेखक ने पाया कि कभी-कभी लैंडफिल की कामकाजी हवा में बैक्टीरिया की उच्च सांद्रता होती है, स्टॉपर को ऊपर की ओर काम करने की कोशिश करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मास्क का उपयोग करना चाहिए। गर्मियों में लीच ईट से रिफ्यूज टैरेस की सिंचाई करके धूल की सांद्रता को कम किया जा सकता है। केबिन में दबाव वाली हवा और आने वाली हवा को छानने से केबिन में धूल के प्रवेश को रोका जा सकेगा। काम करने की स्थिति और कचरे की परिवर्तनशीलता, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा को आवश्यक चिकित्सा जांच की आवृत्ति और प्रकार का अनुमान लगाने के लिए कार्यस्थल की जांच करनी चाहिए।
- माहेश्वरी, एम.यू. (2014) नौकरी से संतुष्टि यह आकलन करना है कि लोग अपनी नौकरी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। कर्मचारियों को अधिक उत्पादक, नवोन्मेषी और प्रतिबद्ध बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारक कर्मियोंकी नौकरी की संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। हालाँकि, सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को समान सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, व्यक्तिगत स्तर पर संतुष्टि का स्तर भिन्न हो सकता है। कारक विश्लेषण से पता चला कि नौकरी से संबंधित कारक और आर्थिक कारक मुख्य रूप से संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करते हैं। कर्मचारियों के बीच संतुष्टि और असंतोष के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए नौकरी की संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों को अक्सर मापा जा सकता है। इस प्रकार, कर्मचारियों की संतुष्टि जितनी अधिक होगी, संगठन का प्रदर्शन उतना ही प्रभावी होगा। सरकारी सेवाओं को प्राथमिकता देने के कारणों को पांच में वर्गीकृत किया गया था, वह है नौकरी की सुरक्षा, अच्छा वेतन, पेंशन लाभ, काम करने की स्वतंत्रता, कम तनाव और फ्रीडमैन रैंक टेस्ट का उपयोग करके रैंक।

## अध्ययन के उद्देश्य-

1. मैला सफाई कर्मियों की सुरक्षा व संरक्षण से संबंधित संवैधानिक एवं सरकारी उपबंधों का अध्ययन करना।
2. मैला सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य से संबंधित कारकों का अध्ययन करना।

3. मैला सफाई कर्मियों मैला सफाई कर्मियों की कार्य प्रकृति में होने वाले बदलावों का अध्ययन करना।

## शोध विधि-

प्रस्तुत शोध मैला सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है। इसमें तथ्यों के संकलन हेतु द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। जिसमें आवश्यकतानुसार तथ्यों हेतु पुस्तकों, पत्रिकों, पत्रिकाओं, शोध पत्र व इन्टरनेट का प्रयोग किया गया है तथा प्रस्तुत शोध की प्रकृति गुणात्मक है।

Sl. No.	Top Ten States Having Manual Scavengers	Number of Manual Scavengers %
1.	Maharashtra	65,181 36
2.	Uttar Pradesh	17,388 10
3.	Madhya Pradesh	23,105 13
4.	Karnataka	15,375 08
5.	Tripura	17,333 10
6.	Punjab	11,951 06
7.	Bihar	7,268 04
8.	Daman & Diu	6,277 03
9.	Jharkhand	4,153 02
10.	Rajasthan	3,498 02
11.	All other States	10,976 06
	<b>Total</b>	<b>1,82,505 100</b>

Source: Socio Economic and Caste Census, 2011

## मैला सफाई कर्मियों की सुरक्षा व संरक्षण से संबन्धित संवैधानिक एवं सरकारी उपबंध:-

सफाई कर्मियों की गरिमा सफाई कर्मों इस परिकल्पना के प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल हैं। लेकिन इस कार्य में शामिल मजदूरों, खास तौर पर हाथ से मैला उठाने वालों को अपने काम की वजह से सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार ने सफाई कर्मियों के बारे में लोगों की धारणा में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाये हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने स्वयं एक अभियान शुरू कर जनता से आग्रह किया कि वे सफाई कर्मियों को संबोधित करने के अपने तरीकों में बदलाव करें और उन्हें कूड़ेवाला/ कचरावाला न कहकर सफाईवाला के नाम से पुकारें। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संपन्न हुए कुंभ मेले के दौरान मेला स्थल और उसके आसपास के इलाके- को साफसुथरा और स्वास्थ्यप्रद बनाए रखनेमें सफाई कर्मियों के प्रयासों और -

योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने उनके पैर धोए जिसकी जनता ने व्यापक रूप से सराहना की प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में मेरे कई सहयोगी तथा शीर्ष अधिकारी हाथों में झाड़ू लेकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हुए दिखाई दिये। बहुत से लोगों ने भले ही इसे दिखावा कहा हो, लेकिन मेरे लिये यह सफाई कर्मचारियों के महत्व और उनके योगदान को महत्व प्रदान करने के हमारी सरकार के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। इससे समाज को यह जोरदार संदेश भी गया है कि हमारी सरकार सफाई कर्मियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है।

सफाई कर्मियों के प्रति लोगों की धारणा में बदलाव लाने के अलावा हमारी सरकार ने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्हें कई कानूनी संरक्षण प्रदान किये गये हैं और उनकी आमदनी में सुधार और उन्हें वित्तीय तथा पेंशन, स्वास्थ्य और आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक नीतियों और कार्यक्रमों पर अमल शुरू किया है मैं सफाई कर्मियों की स्थिति में सुधार और उनके कल्याण के लिए सरकार की कुछ प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

### क. हाथ से मैला साफ करने की कुप्रथा को समाप्त करने के बारे में कानूनी संरक्षण

सफाई कर्मियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में रखा जाता है सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला साफ करने वाले। इनमें से ज्यादातर ठेका मजदूरों के रूप में बेहद जोखिम वाले हालत में काम करते हैं। शौचालयों, सीवर लाइनों, सेप्टिक टैंकों और रेलवे पटरियों की सफाई करते समय उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बहुत खराब स्थितियों में काम करना पड़ता है। हाथ से मैला साफ करने के लिए सफाई कर्मियों को काम पर रखने से रोकने के लिए सरकार ने हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन पर प्रतिबंध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एम.एस. एक्ट, 2013) बनाया है जो 6 दिसंबर, 2013 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के उद्देश्य है:

- 1) अस्वच्छ शौचालयों को समाप्त करना।
- 2) क) हाथ से मैला ढोने वाले सफाईकर्मिके रूप में काम पर रखने, और  
ख) सीवर व सेप्टिक टैंक की हाथों से खतरनाक सफाई पर पाबंदी लगाना, और
- 3) देश में हाथ से मैला साफ करने वाले सफाई कर्मियों का सर्वेक्षण करवाना और समयबद्ध तरीके से उनका पुनर्वास करना।

इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर दो साल तक का कारावास और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 2014 में एम. एस. एक्ट 2013 के विभिन्न प्रावधानों पर अमल को प्राथमिकता दी और अस्वच्छ शौचालयों का पता लगाकर उन्हें तेजी से समाप्त करने तथा हाथ से मैला साफ करने को रोकने के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और उनकी योजनाओं के बीच तालमेल कायम किया गया।

## ख. न्यूनतम मजदूरी, काम करने के लिए सुरक्षित माहौल और पेंशन संबंधी फायदे

न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और सभी सफाई कर्मियों को इसके समय पर भुगतान के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मजदूरी विधेयक संहिता, 2019 बनवाई जिसे 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस विधेयक में कठिन हालात में खतरनाक और श्रमसाध्य काम करने वाले मजदूरों को अधिक मजदूरी के रूप में राहत देने का भी प्रावधान है जिससे लाखों स्वच्छता कर्मियों को फायदा होगा। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और उनका सम्मान बहाल होगा। संहिता में मजदूरी, रोजगार देने और काम करने की स्थितियों के मामले में स्त्री-पुरुष भेदभाव करने की मनाही है जिससे महिला स्वच्छता कर्मियों को लाभ मिलेगा।

स्वच्छता कर्मियों के मामले में सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और काम करने की बेहतर स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए मजदूरी संहिता, 2019 के अलावा हमने 23 जुलाई, 2019 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियों के बारे में संहिता, 2019 लोकसभा में प्रस्तुत की है। इसमें 13 केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों का समामेलन और सरलीकरण कर उन्हें युक्तिसंगत बना दिया गया है। संहिता के विभिन्न सहायक प्रावधानों से न केवल स्वच्छता कर्मियों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उनके लिए सुरक्षित तथा स्वस्थ कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

सामाजिक सुरक्षा सभी कामगारों के लिए सामान्य रूप से और स्वच्छता कर्मियों के लिए खास तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मंत्रालय की कार्यसूची में शीर्ष पर है। सामाजिक सुरक्षा संहिता बनाने के लिए इस समय प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें न केवल संगठित क्षेत्र के थोड़े से कामगारों को फायदा होगा बल्कि विशाल असंगठित क्षेत्र के कामगार भी इसके दायरे और कार्यक्षेत्र में आएंगे। स्वच्छता कर्मियों का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है इसलिए प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान उन्हें सामाजिक सुरक्षा के कानूनी अधिकार भी उपलब्ध कराएंगे।

प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिता के अलावा मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए **प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन (एसवाइएम-पीएम)** नाम की पेंशन योजना का 5 मार्च, 2019 को शुभारंभ किया ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में संरक्षण प्राप्त हो सके। इससे स्वच्छता कर्मियों को भी फायदा मिल सकेगा। यह योजना इस समय 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और असंगठित क्षेत्र के 33,66,995 कामगारों को इसके अंतर्गत सफलता पूर्वक पंजीकृत किया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक अंशदाता को 60 साल की उम्र का हो जाने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। योजना के अंतर्गत अंशदान करने वाले कामगार के लिए उम्र से जुड़ी मासिक प्रीमियम की राशि काफी कम रखी गयी है और केन्द्र सरकार की ओर से भी प्रीमियम के बराबर राशि का अंशदान का प्रावधान किया गया है। यह योजना बड़ी सूझबूझ से तैयार की गयी है।

## ग. आवास, शिक्षा, वित्तीय सहायता और कौशल विकास योजनाएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय की इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत नया मकान बनाने और कच्चे या जीर्णशीर्ण मकान की मरम्मत के लिए सहायता देने का प्रावधान है। पात्र परिवारों को इसके लिए 75,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इन्दिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला साफ करने वाले चिह्नित सफाई कर्मियों को योजना नवम्बर 2019 योजना के दायरे में लाने और उन्हें आवास सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है, भले ही वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में शामिल हों अथवा न हों। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत हमारी सरकार की 'सबको आवास' उपलब्ध कराने की नयी योजना का उद्देश्य नागरिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।

सफाई का काम करने वाले और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की आशंका वाले कर्मियों के बच्चों को मैट्रिक - पूर्व छात्रवृत्ति देने की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत हाथ से मैला साफ करने वालों, चमड़ा कमाने वालों और मरे जानवर की खाल उतारने वालों, कूड़ा बीनने वालों और जोखिम वाले सफाई के कार्य करने वालों के बच्चों को 10 वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए साल में 10 महीने तक 225 से 700 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) देश भर में सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों और उनके आश्रितों के चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करने वाला शीर्ष निगम है। इसकी स्थापना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में 1997 में हुई। निगम उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराता है ताकि वे समाज की मुख्यधारा के लोगों के साथ पूरी प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। निगम रियायती ब्याज दर पर राज्यों की चैनलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे इसे आगे निगम के लक्षित समूहों को जारी कर सकें। निगम लक्षित समूह के पात्र सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की ऐसी योजनाओं पर भी अमल करता है जो ऋण देने पर आधारित नहीं हैं। इनके अंतर्गत शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है ताकि वे अपनी क्षमताएं बढ़ाकर सवेतन रोजगार प्राप्त कर सकें या अपना कारोबार शुरू करके अपनी आमदनी के स्तर में बढ़ोतरी कर सकें।

**हाथ से मैला साफ करने वाले मजदूरों के लाभ संबंधी प्रावधान (एसआरएमएस) और 15.02.2017 तक क्रियान्वयन में प्रगति**

क्र.	लाभ संबंधी प्रावधान	क्रियान्वय प्रक्रिया
1.	हाथ से मैला साफ करने वाले चिह्नित व्यक्ति को प्रति परिवार 40,000 रुपये की एकबारगी नकदी सहायता	हाथ से मैला साफ करने वाले 11563 मजदूरों को सहायता जारी
2.	अधिकतम दो साल तक का कौशल विकास प्रशिक्षण 3,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड के साथ	13 390 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण सहायता दी गयी
3.	सतत विकास योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर आर्थिक	हाथ से मैला ढोने वाले एवं उनके

ऋण इसमें अधिकतम 3.25 लाख रुपये का पूंजी अनुदान शामिल होगा	आश्रितों हेतु 1233 स्व-रोज़गार परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं
---	---

स्रोत: <http://socialiustice.nic.in/writer/readdata/upleadFile/NSKEDC636231983377426171.pdf> 3.

## घ. आयुष्मान भारत के माध्यम से सफाई कर्मियों का संरक्षण

आयुष्मान भारत- आरोग्य जन प्रधानमंत्री (पीएमजेएवाइ) माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शितापूर्ण 2018 में शुरू की गयी ए अन्य महत्वपूर्ण पहल है जिसमें सफाई कर्मियों की भलाई और उनकी गरिमा बहाल करने जबरदस्त क्षमता है। यह भी एक तथ्य है कि इनमें से ज्यादातर लोग गरीब और दुर्बल परिवारों के होते हैं। योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है इससे सफाई कर्मियों के इलाज पर अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलेगी और वे अपने पारिवारिक संसाधनों का उपयोग परिवार की अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकेंगे। एक साल के छोटे से अरसे में ही पी. ए. जे. एम. 10,77,59,548 ईकार्ड जारी किये हैं, 18,284 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है और 48,38,422 लोगों को फायदा दिलाया है। इससे पता चलता है कि सबको स्वास्थ्य सवाएं उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के दायरे में लाने के लिए भारत (.सी .एच.यू) है।

## मैला सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य से संबन्धित कारक

एक सदी से अधिक समय के लिए मैला सफाई के कार्यकर्ता के काम करने की स्थिति लगभग अपरिवर्तित रही हैं। हाथ से मैला ढोने वाले की जान हमेशा जोखिम में होती है। सामाजिक-आर्थिक अत्याचारों के अलावा इन मजदूरों पर स्वास्थ्य समस्याओं के संपर्क में आना भी आम बात हो गया है। मैला सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर इस कार्य से कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसी प्रकार मैला सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य से सम्बंधित निम्नलिखित कारक हैं:-

### महिला मैला सफाई कर्मी:

प्रस्तुत मैला सफाई कर्मियों जैसे असुरक्षित काम करने वाली महिलाओं का जीवन लगभग कब्र में है। उनके दैनिक जीवन में मानव अपशिष्ट के निकट संपर्क के माध्यम से अनगिनत बीमारियों का खतरा बना रहता है। जिससे उनके सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। लगभग नब्बे प्रतिशत मैला ढोने वालों को मैला सफाई के कार्यसे बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपकरण उचित रूप से प्रदान नहीं किया गया है। भारत में सुरक्षा पर एक रिपोर्ट TISS (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल विज्ञान) द्वारा जनवरी 2007 में सुरक्षा उपकरण शामिल है- जैसे दस्ताने, मास्क, जूते और/या झाड़ू। महिल मैला सफाई कर्मियों द्वारा मैला ढोने में हाथों के उपयोग से उनका त्वचा से सीधा संपर्क होता है, जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति के लिए एक बहुत ही खतरनाक व गंभीर योगदान दे रहा है। इस कार्य को करते समय उन्हें विभिन्न जहरीली गैसों का सामना करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक तो है ही साथ ही कभी-कभी यह उनके जीवन समाप्ति का कारण भी बन जाता है।

इसके चलते सीवेज कर्भिमें को आमतौर पर कट, चोटें लगी हैं। विषैली गैसों के संपर्क में आने से उनके फेफड़ों, हृदय तथा त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है। साथ ही आँखों में जलन औय त्वचा लाल चकत्ते से पीड़ा होना आदी।

### मैला सफाई कार्य से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं

मार्च 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि 96 लाख (9.6 मिलियन) शुष्क शौचालय मैनुअल रूप से खाली किए जा रहे हैं, लेकिन मैनुअल मैला ढोने वालों की सही संख्या विवादित है – आधिकारिक आंकड़ों ने इसे 700,000 से कम रखा। सिर पर मैला ढोने के कार्य को पतले बोर्डों, फट्टों जैसे बुनियादी उपकरणों के साथ किया जाता है और या तो बाल्टी या टोकरी को बोरी से ढंक दिया जाता है। नौकरी की खतरनाक प्रकृति के कारण, कई श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं:-

मैला ढोने वालों को हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, कार्बन (IV) ऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों के संपर्क में लाया जाता है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के लंबे समय तक संपर्क में श्वासावरोध सेमृत्यु हो सकती है। इसके अलावा, व्यक्ति को मिर्गी के दौरे का अनुभव हो सकता है और बेहोश हो सकता है और बाद में मर सकता है। एक अन्य प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मस्कुलोस्केलेटल विकार। सीवर में कई बैक्टीरिया के निवास के कारण सीवर में संक्रमण के संपर्क में आना भी आम है। सामान्य संक्रमण लेप्टोस्पायरोसिस है जो एक व्यावसायिक बीमारी है जो सूअर जैसे जानवर तथा उनके अपशिष्ट के संपर्क में आने से होती है। सीवर में काम करने वाले कृन्तकों के निर्वहन के संपर्क में भी आते हैं जो सीवर में पाए जाते हैं और लेप्टोस्पोरोसिस से संक्रमित हो सकते हैं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में जिल्द की सूजन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण शामिल हैं जो गैस्ट्रिक कैंसर और श्वसन समस्याओं का कारण बनता है।

### मैला ढोने तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान लोगों की मौत –

स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाले लोग इस समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा सेप्टी किट, दस्ताने और मास्क उपलब्ध कराने की बात करते हैं। इस समस्या के असल समाधान की तरफ़ कोई भी बढ़ता हुआ नहीं दिखता। सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल पर सालों से बहस चल रही है पर ज़मीन पर अधिक बदलाव नहीं दिखाई देता। बड़े गर्व से बताया जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इतने लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। पर इस पर चर्चा नहीं की जाती कि इन शौचालयों के भरने पर इनके गड्डों की सफाई किससे करवाई जाएगी। सफाई के दौरान इनमें कितने लोगों की जान जाएगी। खैर ये तो बाद की बात है।

2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार, 180,657 परिवार आजीविका के लिए मैनुअल मैला ढोने में लगे हुए हैं। भारत की 2011 की जनगणना में पूरे भारत में मैनुअल स्कैवेजिंग के 794,000 मामले पाए गए। पिछले कुछ ही महीनों में 100 से अधिक लोग जहरीली गैस से सीवर में घुटन से मरे। 2017 में 221 लोग मौत के सीवर में समा गये। 1993 से अब तक 1790 लोगों को सीवर की जहरीली गैस ने मार डाला। हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के आंकड़ों के मुताबिक इस साल के शुरुआती छह महीनों में

देश के सिर्फ आठ राज्यों में 50 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। एनसीएसके के अनुसार कि ये आंकड़े सिर्फ आठ राज्यों पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और तमिलनाडु के हैं।

2017 से पूरे देश में सीवर और सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हर पांच दिन में औसतन एक आदमी की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2014-2018 के दरम्यान सैप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करते हुए 323 मौतें हुई हैं। 1993 से अब तक 817 कर्मचारियों की मौत सीवर की सफाई करते हुए हो चुकी है। वहीं, एक दूसरी निजी संस्था सफाई कर्मचारी आंदोलन के एक आंकड़े के मुताबिक पिछले पांच साल में ये आंकड़ा 1,470 मौतों का है।

Total death occurred among manual scavenging workers in selected urban areas within five year duration Name of the local body	Male	Female	Total	Age Group
The Northern Zone of Coimbatore Corporation	40	12	52	30 to 59
The Southern Zone of Coimbatore Corporation	9	3	11	35 to 58
The Central Zone of Coimbatore Corporation	88	23	111	35 to 59
The Western Zone of Coimbatore Corporation	45	12	57	37 to 59
The Eastern Zone of Coimbatore Corporation	Data Not Given			
Total	182	49	231	30 to 59
The Pollachi Municipality	20	6	26	47 to 59
The Mettupalayam Municipality	Data Not Given			
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>47 to 59</b>
<b>Grand Total</b>	<b>202</b>	<b>55</b>	<b>257</b>	<b>30 to 59</b>

आपको बता दें कि सीवर सफाई के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है लेकिन मुआवजा देने के मामले में ज्यादातर राज्यों का रिकॉर्ड बहुत खराब है।

## निष्कर्ष

सफाई कार्य के सबसे खराब क्षेत्रों में से एक है, जहां लोग अपनी हत्या करने के काम में लगे हैं भूख। आम तौर पर जाना जाता है, यह सबसे अधिक है उनके शारीरिक के लिए अस्वच्छ और खतरनाक वृद्धि और विकास या स्वास्थ्य का जोखिम। ये बेचारा कचरा संग्रह करते समय बीनने वालों को उच्च स्वास्थ्य जोखिम होता है पुनर्नवीनीकरण सामग्री लेकिन कम भुगतान किया जाता है। पर इसके विपरीत, थोक खरीदार और रीसायकल कंपनियां कम में बड़ा मुनाफा कमा रही हैं जोखिम लेकिन स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं सफाईकर्मि पूरी तरह से। मैला ढोने वाले बेघर हैं, बेरोजगार भी हैं भूमिहीन शहरी गरीब, पास की शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे हैं डंपिंग साइट। उनका काम जोखिम भरा और सीमांत है। सफाई शहरी के अस्तित्व के लिए संघर्ष है गरीब समूह। महत्वपूर्ण अनुपात सफाई कर्मि स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

## संदर्भ ग्रंथ

- अम्बेडकर, बीआर, अछूत - वे कौन हैं और वे क्यों बनते हैं न छूने योग्य? अमृत बुक कं, नई दिल्ली, 1 9 48।
- बक्षी डी सिन्हा, मेनन, पीएसके और अरुण के घोष, मानव की बहाली डिग्रीटी , अर्नोल्ड प्रकाशन, नई दिल्ली, 1 99 4।
- भागीरथ पोद्दार, आधुनिक भारत में अस्पृश्य , सरप संस, नई दिल्ली, 2001, पीपी.62-63।
- बिंदेश्वर पाठक, रोड टू फ्रीडम, मोतीलाल बनारसिदास प्रकाशक, नई दिल्ली, 1991।
- दास, जेआरजे , भंगी काश्त मुक्ति और भंगी मुक्ति, हरिजन सेवक संघ, दिल्ली, 1 9 68।
- फूक्स, स्टीफन, द इंडियन सोसाइटी के नीचे: हरिजन और अन्य लो जाति , मुंशीराम और मनोहरलाल प्रकाशक प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली, 1 9 81।
- घुरी, जीएस, जाति, कक्षा और व्यवसाय, लोकप्रिय पुस्तक डिपो, बॉम्बे, 1 9 61।
- Adhikari, G. P. (2003) Social Research for Thesis writing, Kathmandu: Investigation Nepal.
- Carney, D. (1998) Sustainable Rural Livelihoods: What contribution can we make? UK: DFID. DFID. Sustainable Livelihood Guidance Sheet, Livelihoods@dfid.gov.uk.
- Gatrell, A. C. (2002). Geographies of Health: An Introduction. UK: Blackwell Publishing.
- Harday, J.E. and D. Milton (2001). Environmental Problem in an Urbanization World: Finding Solutions for Cities in Africa, Asia and Latin America. USA: Earthscan Publication Ltd.

- Johnston, R. J. (1997). *Geography and Geographer: Anglo American Human Geography since 1945*. London: Arnold.
- Kitchen, R. and N.J. Tate (2000). *Conducting Research into Human Geography: Theory, Methodology and Practice*. UK: Pearson Education.
- Livingstone, D.A. (1992). *Brief History of Geography*. In: Rogers A., Vile, H. and Goudie, A. (eds.), *The Student Companion to Geography*. Oxford: Blackwell.
- *Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993, Chapter, -I, Preliminary, Definitions,*
- <https://www.indiatoday.in/india/story/manual-scavenging-health-risks-that-haunt-cleaners-265552-2015-09-30>.
- Hagerty, M. R., et al. (2001), *Quality of life Indexes for National Policy: Review and Agenda for Research*, *Social Indicator Research*, Vol. 55, No. 1, pp. 1-96 30.
- Hanna Sutela (2006), *Correlate with the Definition of QWL*, *Statistical Journal of the United Nations*, No. 23, pp. 57- 67.

